सं0-507/XXVIII-4-2005-54/2005

प्रेषक,

अतर सिंह,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तरांचल देहरादून ।

चिकित्सा अनुभाग-4

देहरादून, दिनांक : 23 नवम्बर, 2005

विषय: वर्ष 2005-06 में अनुदान संख्या-12 में आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत पुर्नविनियोजन की स्वीकृति

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-स्प/8/44/2005-06/22413 दिनांक 03.10.2005 के संदर्भ मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय द्वारा वित्तीय वर्ष 2005-06 में प्रदेश में अन्धेपन की रोकथाम के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के विकास हेतु वेतनादि मदों में संलग्न प्रपत्र बी0एम0-15 के विवरणानुसार रू0 5,50,000.00(रू0 पांच लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि की उपलब्ध बचतों के स्थानान्तरण द्वारा व्यय की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2 उक्त व्यय उसी मद में किया जायेगा जिसके लिये स्वीकृत किया जा रहा है ।

3 उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2005-06 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-12 के लेखाशीर्षक 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य आयोजनागत, 03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति, 800-अन्य व्यय, 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें, 0101-प्रदेश में अन्धेपन की रोकथाम के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का विकास, 01-वेतन, 03-महंगाई भत्ता, 06-अन्य भत्ते, 48-महंगाई वेतन के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न पुनर्विनियोग के कालम-1 की बचतों से वहन किया जायेगा ।

4 यह आदेश वित्त विभाग के अशा0 सं0-109/वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/2005 दिनांक 20.11.2005 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

संलग्न यथोक्त:

भवदीय,

(अतर सिंह)
उप सचिव

सं0 507(1)/XXVIII-4-2005-54/2005 तद्दिनांकित ।

1 महालेखाकार, उत्तरांचल, माजरा देहरादून ।
2 वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून ।
3 वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3 ।
4 निदेशक राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन सचिवालय, देहरादून ।
5 समस्त मुख्यचिकित्साधिकारी, उत्तरांचल ।
6 आयुक्त कुमांयू / गढ़वाल मण्डल उत्तरांचल ।
7 गार्ड फाईल ।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव

बी0एम0-15

नियंत्रक अधिकारी : महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तरांचल देहरादून ।

पुर्नविनियोजन का आवंटन पत्र (हजार रुपये में)

बजट प्राविधान तथा लेखाशीर्षक का विवरण (मानक मद)	मानक मद्वार अध्यावधिक व्यय	वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में	अवशेष (सरप्लस) धनराशि	लेखाशीर्षक जिनमें धनराशि को स्थानान्तरित किया जाना है (मानक मद)		पुर्न-विनियोजन के बाद के स्तम्भ-5 की कुल धनराशि	पुर्न-विनियोजन के बाद अवशेष धनराशि (4-5)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5		6	7	8
2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य -आयोजनागत				2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य - आयोजनागत				पद रिक्त रहने के कारण वित्तीय वर्ष 2005-06 का आय-व्ययक प्राविधान तैयार करते समय प्राविधान कम रखा गया । तथा रिक्त पदों के भर जाने के कारण व्यय भार बढ़ा है । जिसके फलस्वरूप वेतन भत्तों में रू0 5,50,000/- के पुर्नविनियोजन की आवश्यकता है ।
01-शहरी स्वास्थ्य सेवायें-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति ।				03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति ।				
110-अस्पताल तथा औषधालय				800-अन्य व्यय				
97-वाह्य सहायतित परियोजनाएं ।				01- केन्द्रीय आयोजनागत/ केन्द्र द्वारा पुर्निधानित योजनाए				
9701-हैल्थ सिस्टम परियोजनाएं ।	-	-	-	0101- प्रदेश में अर्थोपाय की ऐकमान के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का विकास ।		-	-	
42-अन्य व्यय- 207860	10000	192860	5000	01-वेतन	300	1100		
				03-महंगाई भत्ता	50	290		
				06-अन्य भत्ते	50	170		
				48-महंगाई वेतन	150	550		
योग- 207860	10000	192860	5000	योग	550	2110	3550	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त पुर्नविनियोजन में बजट मैनुअल के पाँच्छेद 150,151,155,156 में उल्लिखित प्रतिबन्धों एवं सीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है ।

(अतर सिंह)
उप सचिव

अतिरिक्त शासन
वित्त अनुभाग

संख्या-109(1)/ वित्त(व्यय नियंत्रण) अनु0-3/2005
देहरादून: दिनांक: 20 नवम्बर,2005

पुर्नविनियोजन स्वीकृत

एल0एम0पन्त
अपर सचिव

सेवा में

महालेखाकार,
उत्तरांचल(लेखा एवं हकदारी)
ओवरसीज बिल्डिंग,
माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून ।

सं0-507(1)/XXVIII-4-2005-54/2005 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल ।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तरांचल ।
3. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
4. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
उप सचिव